

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-301/2021-22/ 14 (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.12.2022

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत मो० 1,48,49,676/-रु० मात्र (एक करोड़ अड़तालीस लाख उन्चास हजार छः सौ छिहत्तर) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 31 रा० (वि०) दिनांक 19.12.2022 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1835, 1836 तथा आवंटन सं० 51 आ० (वि०) दिनांक 23.12.2022 ऑनलाईन आवंटन सं० 3146 एवं 3147।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना एवं मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत मो० 1,48,49,676/-रु० मात्र (एक करोड़ अड़तालीस लाख उन्चास हजार छः सौ छिहत्तर) रु० मात्र प्रासंगिक सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 31 रा० (वि०) दिनांक 19.12.2022 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1835, 1836 तथा आवंटन सं० 51 आ० (वि०) दिनांक 23.12.2022 ऑनलाईन आवंटन सं० 3146 एवं 3147 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो० 148.49676 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख उन्चास हजार छः सौ छिहत्तर) रु० मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 245/बजट, दिनांक 30.03.2022 द्वारा व्यय की अनुमति प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत निधि का आबंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 44 जीणोद्धार
	विपत्र कोड	53S24050079650010544
1	2	3
1	जि०म०पदा०-सह-मु० कार्य०पदा०, राँची	5000000
कुल योग:		5000000

मो० पचास लाख रु० मात्र।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत निधि का आबंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 45 निर्माण कार्य
	विपत्र कोड	53S44050079662010545
1	2	3
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, राँची	9849676
कुल योग:		9849676

मो० अठ्ठान्वे लाख उन्चास हजार छः सौ छिहत्तर रु० मात्र।

कुल आबंटन मो० एक करोड़ अड़तालीस लाख उन्चास हजार छः सौ छिहत्तर रु० मात्र।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक 15/07/03 एवं पत्रांक 533 (वि०) दिनांक 03.03.2004 में निहित प्रावधान अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाए।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि सही-सही अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक माह का नियमित लेखा मिलान (Reconciliation) कर त्रुटि का निराकरण कराना संबंधित DDO का दायित्व होगा।

7. आवंटित राशि की व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जाए इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्त नियमावली/बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

14(800)
26/12/2022

8. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका विशेष ध्यान संबंधित DDO द्वारा रखा जाएगा।
10. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे जो डोरण्डा कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है। इस प्रयोजन हेतु अन्य श्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
12. राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाए। तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाये।
13. स्वीकृतादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
14. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की वेबसाइट/जिला की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाए।
15. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

26/12/22
(एच० एम० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-301/2021-22/ 14 (अण) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.12.2022

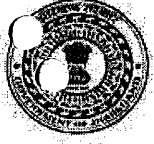
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/22
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-301/2021-22/ 14 (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.12.2022

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/22
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/301/22-23/II/14

दिनांक - 26-Dec-2022

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050079650010544 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 50 - मत्स्य विपणन योजना 01-मत्स्य विपणन 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : Central Scheme :	70841	DRNFSH005 ARUP KUMAR CHOUDHARY DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 44 - जीर्णोद्धार	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
2	S 53 44050079662010545 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 62 - मत्स्य विपणन योजना 01-मत्स्य विपणन (निर्माण) 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : Central Scheme :	70842	DRNFSH005 ARUP KUMAR CHOUDHARY DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 45 - निर्माण कार्य	9,849,676.00 रुपये अठानवे लाख उनचास हजार छः सौ छहत्तर

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अडतालीस लाख उनचास हजार छः सौ छहत्तर

14,849,676.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉड सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 50 - मत्स्य विपणन योजना

मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 62 - मत्स्य विपणन योजना

SINO	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050079650010544	53S44050079662010545	Total
					जीर्णोद्धार	निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doranda	DRNFSH005	Arup Kumar Choudhary	Dist. Fish. Off. Cum Ex. Officer	₹50,00,000.00 (70841)	₹98,49,676.00 (70842)	₹1,48,49,676.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,48,49,676.00 (,d djkSM vMkrkyl yk[k mupkl gtlkj N% lKS NgRrj) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

14 (आठ)
26/12/2022

(H. N. DWIVED)

DIRECTOR FISHERIES